राजस्व अपील प्राधिकारी, जयपुर

तारीख हुक्म	297/2025 पूरण सिंह बनाम त्रिमूर्ति लेंड **हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज**	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
29/08/25	पत्रावली प्रस्तुत हुई | अधिवक्ता उभयपक्ष उपस्थित | अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस सुनी गयी | पत्रावली वास्ते निर्णय दिनांक 11/09/2025 को पेश हो |	
11/09/25	पत्रावली प्रस्तुत हुई | अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस पर गौर किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया | अपीलार्थी द्वारा अपनी बहस एवं अपील के माध्यम से अधीनस्थ न्यायालय द्वारा मृतक खातेदारों के सही वारिसो की जाँच नही कर उन्हें सूचना नही देने एवं प्रतिवादी संख्या 133 के द्वारा प्रस्तुत आपत्ति को बिना आधार के खारिज करने तथा तहसीलदार आमेर द्वारा सभी पक्षकारो को सूचना दिये बगैर कुर्रेजात तैयार करने तथा तहसीलदार द्वारा विभाजन के नियमों की पालना नही करते हुये केवल मात्र तीन काश्तकार के विभाजन रिपोर्ट ही तैयार किये जाने की आपत्ति मुख्य रूप से अंकित की गयी है | इस सन्दर्भ में चूँकि प्रकरण विभाजन का है ऐसे में अपीलार्थी द्वारा केवल मात्र तीन खातेदारों के विभाजन किया जाकर शेष पक्षकारान को ईकजाई रूप से यानी अविभाजित रखे जाने को छोड़कर शेष आपत्तियां निराधार है | चूँकि विभाजन एक नैसर्गिक प्रक्रियां है, ऐसे में अधीनस्थ न्यायालय के लिए यह आवश्यक था कि वे वाद अधीन खातों के सभी पक्षकारान का अलग-अलग खाता व् लगान विभाजन की अन्तिम डिक्री के माध्यम से कायम करते, किन्तु ऐसा नहीं कर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा इस बिन्दु पर त्रुटी किया जाना स्पष्ट होता है | अपीलार्थी द्वारा अपनी अपील के माध्यम से जिन खातेदारों का विभाजन होकर उन्हें जो भूमि प्राप्त हुई है, के सन्दर्भ में ऐसी कोई आपत्ति अंकित नही कराई गयी है कि उन्हें जो जमीन प्राप्त हुई है, वह अच्छी अथवा अधिक उपजाऊ जमीन है | अत: ऐसी स्थिति में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन निर्णय व डिक्री दिनांक 23/12/2024 के माध्यम से जिन पक्षकारो का अलग खाता व लगान कायम कर दिया गया है, को यथावत रखते हुए प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को इन निर्देशों के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि वे शामलाती में रखे गये पक्षकारो के सन्दर्भ में भी विभाजन से शेष रही भूमि के विभाजन हेतु तहसील से कुर्रेजात रिपोर्ट प्राप्त कर पक्षकारान को आपत्ति प्रस्तुत करने का समुचित अवसर प्रदान करते हुए प्राप्त आपत्तियो का विवेचनात्मक निस्तारण करते हुए दो माह में विधिसम्मत अतिरिक्त निर्णय व डिक्री पारित करे | तदनुसार अपील निस्तारित की जाती है | पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तामील तकमील दाखिल दफ्तर हो | निर्णय आज दिनांक 11/09/2025 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में नाया गया | 11/9/25 राजस्व अपील प्राधिकारी जयपुर	